## गुडईयर इंडिया लिमिटेड (CIN: L25111HR1961PLC008578) पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद)-121004, हरिवाणा, भारत टेलीफोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310 ईमेल: goodyearindia\_investorcell@goodyear.com, वेबसाईट: www.goodyear.co.in 59वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

- 1. एतद्दारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी'') की 59वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 13 अगस्त, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. शास्तीय मानक समय (आईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी/ ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 05 मई, 2020 (''एमसीए सर्क्युलर्स'')तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर नं. स्वेथी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79, तिथि 12 मई, 2020 (''सेबी सर्क्युलर'') के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जावेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसावों को निष्पादित किया जायेगा।
- 2. एजीएम की सूचना तथा उस पर निदेशक मंडल तथा ऑडिटरों के रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये उसमें अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित 31 मार्च, 2020 के समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट ईमेल द्वारा केवल ऐसे सभी सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं । सदस्यगण केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोर्ट ई-वोटिंग में भागीदार्र के पास पंजीकृत हैं । सदस्यगण केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोर्ट ई-वोटिंग में भागीदार्र अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से भाग के माध्यम से ही एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोर्ट ई-वोटिंग में भागीदार्र अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से भाग के माध्यम से ही एजीएम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। एजीएम की यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.goodyear.co.in/investor-relations तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
- 3. ईंबेल पते को पंजीकृत कराने/ अद्यतन कराने का तरीकाः
  - क) भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/ अथवा रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदा-करने के लिये लॉगिन विवरणों तथा वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल होने, ई-वोटिंग सहित, के लिये कम्पनी के ईमेल पते goodyearindia\_investorcell@goodyear.com पर अथवा आरटीए के पास srikant@skylinerta.com पर फोलियो नं., शेयरधारक का नाम शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन क गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध करा कर उसे प्राप्त कर सकते हैं।
  - ख) डीमैट पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपने ई मेल पते पंजीकृत/ अद्यतन करा लें।
- 4. लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट पंजीकृत कराने का तरीकाः
  - क) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्थिस (ईसीएस) अथवा अन्य किसी पद्धति द्वारा अपनी बैंक खाताओं में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट अद्यतन नहीं कराये हैं, वे कम्पनी के ईमेल पते goodyearindia\_investorcell@goodyear.com पर अथवा srikant@skylinerta.com पर आरटीप के पास एजीएम की सूचना के साथ संलग्न ईसीएस मैंडेट फार्म में वांछित विवरणों की स्कैन की गई प्रति भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बैंक खाता में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट पंजीकृत करा सकते हैं।
  - ख) डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अद्यतन करा लें।
- 5. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों लाभांश के भुगतान तथा एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 07 अगस्त, 2020 से गुरुवार, 13 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे एजीएम में, यदि स्वीकृत होता है, लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 06 अगस्त, 2020 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।
- 6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से लाभांश आब सदस्यों के लिए कर-योग्य होगा तथा कम्पनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) के कटौती करना होगा। थिभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए सदस्यों से आग्रह है कि कम्पनी/ उसके आरटीप के पास (भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) goodyearindia\_investorcell@goodyear.com अथवा srikant@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर तथा डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्टरस के पास (डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) and पर कर वर्धा के पास (भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) goodyearindia\_investorcell@goodyear.com अथवा srikant@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास (डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) अपने पैन को अद्यतन करा लें। अधिक विवरणों के लिए कपया एजीएम की सचना में दी गई टिप्पणियों को देखें।
- 7. यदि कम्पनी बैंक खाता के विवरणों की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो डाक सेवाएं एक बार उपलब्ध ह जाने के बाद कम्पनी ऐसे शेयरधारकों को डाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।

गुडईवर इंडिया लिमिटेड के लिये हस्ता./-सोनाली खन्न हेड-लीगल, अनुपालन एवं कम्पनी सचिव

तिथिः ८ जुलाईं, 2020 स्थानः नई दिल्ली

